



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांक : 22.12.2025

फा.सं.: NCST/ATY-107/JH/9/2021-RO-RNC-RU-IV

सेवा में,

1 **उपायुक्त**

जिला - गुमला
कलेक्ट्रेट भवन,
गुमला -835207 (झारखंड)
ई मेल :dc-gum@nic.in

2

पुलिस अधीक्षक

जिला - गुमला
कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन,
गुमला -835207 (झारखंड)
ई मेल :sp-gum@nic.in

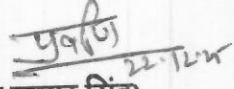
विषय: मौज़ा कुदरा, थाना - सिसई, गुमला के खाता नं०- 14 प्लॉट नं०- 1129 रकबा- 0.99 ए०खाता नं०- 105 प्लॉट नं०- 1130 रकबा 0.06 ए० कुल रकबा - 1.05 एकड़ भूमि की घेराबंदी के संबंध में श्री शंकर उरांव, ग्राम- कुदरा, पो०+ थाना-सिसई, जिला- गुमला (झारखण्ड) का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय


(प्रवीण कुमार सिंह)

अवर सचिव

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ

श्री शंकर उरांव

ग्राम - कुदरा, पो०+थाना - सिसई,
जिला -गुमला -835234 (झारखण्ड)
मो० नं०-7903971937

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/ATY-107/JH/9/2021-RO-RNC

मौज़ा कुदरा, थाना - सिसई, गुमला के खाता नं०- 14 प्लॉट नं०- 1129 रकबा- 0.06 ए०खाता नं०- 105 प्लॉट नं०- 1130 रकबा 0.99 ए० कुल रकबा - 1.05 एकड़ भूमि की घेराबंदी के संबंध में श्री शंकर उरांव, ग्राम- कुदरा, पो०+ थाना-सिसई, जिला- गुमला (झारखण्ड)- 835234 के अभ्यावेदन दिनांक 14-07-2021 के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 01.12.2025 को अपराह्न 02:30 बजे।
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-1 के अनुसार

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में दिनांक 14-07-2021 को श्री शंकर उरांव, गुमला से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनकी खेतियानी भूमि खाता नं०- 14 प्लॉट नं०- 1129 रकबा- 0.06 ए०खाता नं०- 105 प्लॉट नं०- 1130 रकबा 0.99 ए० कुल रकबा - 1.05 एकड़ पर घेराबंदी/चहारदीवारी करना आवश्यक है। उक्त भूमि का सीमांकन सरकारी आमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में नियमानुसार करा लिया गया है। सीमांकन के बावजूद भूमि के दक्षिण दिशा के चौहदीदार —1. रामधारी सिंह 2. रामधारी सिंह (पिता — नामालूम) 3. नंदकिशोर सिंह 4. अजय सिंह (पिता — कुंजबिहारी सिंह) 5. गुड्डू साहू (पिता — नामालूम) सभी ग्राम अदौली, थाना सिसई, जिला गुमला — आवेदक को जातिसूचक गाली-गलौज, धमकी एवं मारपीट का भय दिखाकर घेराबंदी करने से रोक रहे हैं। उक्त व्यक्तियों का दबंग प्रकृति का होना भय का कारण है। आवेदक ने सीमांकन से संबंधित सभी अभिप्रमाणित कागजात आवेदन के पास उपलब्ध हैं। अतः आवेदक ने उनकी खेतियानी जमीन पर सुरक्षित रूप से घेराबंदी करने हेतु आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है।

2. आयोग द्वारा मामले में तथ्यात्मक जानकारी हेतु उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, गुमला, झारखंड को नोटिस दिनांक 03.01.2022 को भेजा गया।

3. आयोग द्वारा जारी नोटिस के उपरांत भी संबंधित अधिकारियों से प्रकरण में कोई उत्तर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप, मामले की सिटिंग दिनांक 01.12.2025 को सिटिंग निर्धारित की गई।

4. संबंधित अधिकारियों को दिनांक 20.11.2025 को सिटिंग नोटिस जारी कर इसकी सूचना प्रदान की गई तथा अभ्यावेदक को भी उक्त सूचना प्रेषित की गई।

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-गुमला विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि अभ्यावेदक अनुपस्थित रहे।

6. सुनवाई के उपरांत मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं:

(i) उपायुक्त, जिला-गुमला द्वारा प्रकरण में घेराबंदी एवं सीमांकन से संबंधित अद्यतन एवं विस्तृत जांच प्रतिवेदन एक माह के भीतर आयोग को प्रेषित किया जाए।

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Dr. Asha Lakra
Member

Ministry of Tribal Affairs, Government of India

National Commission for Scheduled Tribes

New Delhi / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-107/JH/9/2021-RO-RNC-RU-IV

Sitting to be held on **01.12.2025 at 02.30 P.M.** मौज़ा कुदरा, थाना - सिसई, गुमला के खाता नं०- 14 प्लॉट नं०- 1129 रकबा- 0.99 ए०खाता नं०- 105 प्लॉट नं०- 1130 रकबा 0.06 ए० कुल रकबा - 1.05 एकड़ भूमि की घेराबंदी के संबंध में श्री शंकर उरांव, ग्राम- कुदरा, पो०+ थाना-सिसई, जिला- गुमला (झारखण्ड) के अभ्यावेदन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	Officers from O/o Deputy Commissioner, Gumla, Jharkhand		
1.	Through VC		
2.			
3.			
III	Officers from O/o Superintendent of Police, Gumla, Jharkhand		
1.			
2.			
3.			
IV	Petitioners		